301

न्यायालय में श्रीमान् समक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला--ग्वालियर (म0प्र0)

8 624-II-17

सावित्री सिंह पति जीवन सिंह उम्र 63 वष निवासी ग्राम –धुम्मा, थाना व तहसील अनूपपुर जिला–अनूपपुर (म0प्र0) ....निगरानीकर्ता/आवेदिका

बनाम

1– शेर सिंह आत्मज मंगल सिंह

2– कमलभान सिंह

3– सुकरू सिंह

सभी निवासी ग्राम धुम्मा थाना भालूमाडा तहसील व जिला–अनूपपुर म0प्र0

4– म0प्र0शासन जरिये तहसीलदार अनूपपुर .....गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959

मान्यवर ,

निगरानी के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है:–

1 यह कि भूमि स्थित ग्राम धुम्मा प0ह0 अमलाई तहसील व जिला–अनूपपुर म0प्र0 स्थित आ0ख0न0 104/1/क/2 रकबा 0.028 हे0 भूमि की भूमि स्वामिनी सावित्री बाई पत्नी जीवन सिंह निवासी ग्राम धुम्मा थाना भालूमाडा तहसील व जिला–अनूपपुर (म0प्र0)

2 यह कि उक्त भूमि आवेदिका के द्वारो जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र निष्पादित दिनांक 28.05.1999 क0 318 के माध्यम से विकेतो जगदेव पिता निवासी से कय कर विधिवत स्वामित्व प्राप्त किया था। जबकि उक्त भूमि पर आवेदिका लगभग 100 वर्षो से मकान बनाकर निवासरत है जिस पर मकान,बाडी एवं स्वच्छता अभियान के तहत् शौचालय का निर्माण किया गया है।

3 यह कि गैर निगरानी कर्ता क0 3 के द्वारा भूमि स्थित ग्राम धुम्मा की आ0ख0न0 104/1/ख रकबा 0.081 हे0 भूमि के नक्शा तर्मीम किये जाने का

सावित्री सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-624-दो/2017 जिला-अनूपपुर

सावित्री सिंह आदि विरूद्ध शेरसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार अनूपपुर, जिला-अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 113/अ-03/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 08-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-02-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार जिला-अनूपपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

09/01/19

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य